



कार्यालय— नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण
निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



भूमि सर्वेक्षण
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— 160 / FP/UK/ROAD/151120/2022 : देहरादून: दिनांक: 31 मार्च, 2026

सेवा में,

✓ **उप वन महानिरीक्षक (के०)**
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL No.- FP/UK/ROAD/151120/2022

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी०/यू०सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 09-02-2026

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 09-02-2026 के क्रम में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 2481/12-1 (2) दिनांक 23.02.2026 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	Attempt to carry out transplantation of the maximum possible number of saplings/poles/trees of indigenous and endemic tree species-specifically of ecologically important oak, buransh and deodar species, at the cost of the user agency. The divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed transplantation works including species-wise number of trees and locations of transplantation etc.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.03.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के सापेक्ष 0-20 व्यास वर्ग के प्रभावित वृक्षों, जिसमें मुख्यतः बाँज के 373 वृक्ष, व बुरांश के 69 वृक्ष व देवदार 13 वृक्षों का प्रत्यारोपण का कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र सिराड कम्पार्टमेन्ट नं० 2, 3 व 4 में किया जायेगा, जिनके प्रत्यारोपण की लागत प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन की जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण स्थल मानचित्र की प्रति एवं प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
2.	To carry out assisted natural regeneration (ANR) of ecologically important Oak, Buransh and Edodar species in a forest area adjoining to the proposed diversion area. The Divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed ANR works. Including species-wise number of trees and locations of ANR sites.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष 25.00 है० क्षेत्र में बाँज, बुरांश व देवदार प्रजातियों का ए०एन०आर० मॉडल पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। यह कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र के अन्तर्गत शीतलाखेत कम्पार्ट नं० 06 में 5.00 है०, गणानाथ कम्पार्ट नं० 8 में 5.00 है०, गणानाथ कक्ष संख्या-18 में 5.00 है० व स्याहीदेवी कं०सं०-08 में

		10.00 है0 में किया जायेगा, जिसका विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
3.	The state Forest Department shall undertake additional plantation of 3730 Oak, 690 Buransh and 130 Deodar saplings (i.e, ten times the number of Oak, Buransh and Deodar trees proposed for felling), at the cost of the user agency. The plantations shall be submitted to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा अवगत कराया गया है कि अतिरिक्त 3730 बांज, 690 बुरांश व 130 देवदार के पौधों का रोपण कार्य कुल 4.55 है0 क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है0 की दर से किया जायेगा। यह वृक्षारोपण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 309 (A) के समीप अल्मोड़ा वन क्षेत्र के कालीमठ कम्पार्ट संख्या-04 में किया जायेगा, जिसकी के0एम0एल0 फाईल एवं गूगल मानचित्र एवं वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)
4.	The state Government to ensure that details of the enumeration as provided shall be updated in the parivesh portal. As well.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या पूर्व में ही परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है, जिसका नोडल कार्यालय स्तर पर भी परीक्षण कर लिया गया है।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या- 1803 /FP/UK/ROAD/151120/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

डॉ0 एस0पी0 सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2481/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, - 23.02.2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बिरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं०-151120/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक- 08बी०/यू०सी०पी० /06/80/2022/एफ०सी० / दि०-09.02.2026

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5214/12-1(2), दिनांक 18.02.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी राजमार्ग
आ.का.नै.र.

प.का.सं/नै.र.
27-2-26

वन संरक्षक वृत्त नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून

रेजी० सं०.....2694

पत्रावली.....121

पत्रांक.....23-26

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182 ई-मेल almorastoredivision@rediffmail.com
पत्रांक 5214 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 18/02/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ — भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 09.02.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 30.01.2026 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है।

क्र. सं.	निर्देश	आख्या
1	Attempt to carry out transplantation of the maximum possible number of saplings/poles/ trees of indigenous and endemic tree species- specifically of ecologically important oak, buransh and deodar species, at the cost of the user agency. The divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed transplantation works including species-wise number of trees and locations of transplantation etc.	प्रस्ताव के सापेक्ष 0-20 व्यास वर्ग के प्रभावित वृक्षों, जिसमें मुख्यतः बॉज के 373 वृक्ष, व बुराश 69 के वृक्ष व देवदार 13 वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जायेगा, जिनके प्रत्यारोपण की लागत प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन की जायेगी। उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर लिया गया है। (संलग्न 01)
2	To carry out assisted natural regeneration (ANR) of ecologically important Oak, Buransh and Edodar species in a forest area adjoining to the proposed diversion area. The Divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed ANR works. Including species-wise number of trees and locations of ANR sites.	प्रभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष 25.00 है० क्षेत्र में, बॉज, बुराश व देवदार प्रजातियों का ए०एन०आर० मॉडल पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। यह कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र के अन्तर्गत शीतलाखेत कम्पार्ट न० 06 में 5.00 है०, गणानाथ कम्पार्ट न० 08 में 5.00 है०, गणानाथ क०सं० 18 में 5.00 है० व स्याहीदेवी क०सं० 08 में 10.00 है० में किया जायेगा, जिसका विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न 02)
3	The state Forest Department shall undertake additional plantation of 3730 Oak, 690 Buransh and 130 Deodar saplings (i.e, ten times the number of Oak, Buransh and Deodar trees proposed for felling), at the cost of the user agency. The plantation scheme, along with site details and locations, shall be submitted to this office.	इसके अतिरिक्त 3730 बॉज, 690 बुराश व 130 देवदार के पौधों का रोपण कार्य कुल 4.55 है० क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है० की दर से किया जायेगा। यह वृक्षारोपण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 309 (A) के समीप अल्मोड़ा वन क्षेत्र के कालीमठ कम्पार्ट सं० 04 में किया जायेगा। वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्न 03)

4	The state Government to ensure that details of the enumeration as provided shall be updated in the Psrivesh portal. As well.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या पूर्व में ही परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है।
---	--	--

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी 0 171.00 से 206.60 (बिरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) मार्ग के दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी 0 171.00 से 206.60 (बिरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) मार्ग के दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु वन विभाग द्वारा पेड़ों को Transplant किये जाने में आंकलित धनराशि का वहन User Agency द्वारा वहन किया जायेगा।

Qaly

अधिशासी अभियन्ता
स 0 मा 0 खण्ड लो 0 नि 0 वि 0, रानीखेत।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 309ए के किमी0 171.00 से किमी0 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) के दो लेन चौड़ीकरण प्रस्ताव के सामेक्ष ए0एन0आर0 मॉडल पर वृक्षारोपण कार्य

1. क्षेत्र का विवरण

प्रभाग का नाम- अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा	रेज का नाम -- अल्मोड़ा रेज										
उप प्रभाग का नाम- अल्मोड़ा उप वन प्रभाग अल्मोड़ा	भूमि की विधिक स्थिति- आरक्षित वन										
कार्य स्थल का नाम - शीतलाखेत कम्पाट सं0 6- 5.00 हे0, गणानाथ कम्पाट सं0 8- 5.00 हे0, गणानाथ कम्पाट सं0 18- 5.00 हे0 व स्याही देवी कम्पाट सं0 8- 10.00 हे0											
जनपद का नाम- अल्मोड़ा	प्रति हे0 पौध संख्या - 200 ✓										
क्षेत्र की ढाल- उत्तरी ढाल 40°	प्रस्तावित क्षेत्रफल- 25.00 हे0										
क्र0सं0	कार्य विवरण	क्षेत्रफल हे0 में	नपत			मात्रा	दर	प्रथम वर्ष 2025-26	द्वितीय वर्ष 2026-27	योग	एस0ओ0 आर0
			ल0	चौ0	उ0						
1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमार्केशन, के0एम0एल0 फाईल तैयार करना, फुट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	25.00	-	-	-	-	1453.00/hec	36325.00	0.00	36325.00	3.1.3
2	क्षेत्र अन्तर्गत सफाई कार्य	25.00	-	-	-	-	1259.00/	31475.00	0.00	31475.00	3.1.4
3	धेरबाड कुली दीवाल निर्माण कार्य 1000 स0मी0 दूरी से मय पत्थरों का खुलान सहित	15.00	2895.00	0.45	1.15	1498.163	679.00	1017252.34	0.00	1017252.34	3.1.5.1
							Total	1085052.34	0.00	1085052.34	

3. पौधों की कीमत प्रथम वर्ष

क्र0सं0	पौधों की सं0	पौध सं0 बैग पौध	रोपण के समय पौध की आयु	पौध उगाने पर प्रति पौध व्यय दर		प्रथम वर्ष 2025-26	द्वितीय वर्ष 2026-27	योग	एस0ओ0 आर0
				प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष				
1	देवदार	1000	1.5 to 2 year	15.90	0.00	15900.00	0.00	15900.00	
2	बोंज	2500		15.90	0.00	39750.00	0.00	39750.00	
3	बुरांस	1500		15.90	0.00	23850.00	0.00	23850.00	
	योग	5000		15.90	0.00	79500.00	0.00	79500.00	3.1.11

4. कन्दूर फरें खुदान, चाल चाल, गड्डे खुदान आदि कार्य

क्र0सं0	कार्य विवरण	संख्या	नपत			मात्रा	दर	प्रथम वर्ष 2025-26	द्वितीय वर्ष 2026-27	योग	एस0ओ0 आर0
			ल0	चौ0	उ0						
1	जल संरक्षण कार्य (आर0आर0 ड्राईस्टोन चैकडैम निर्माण कार्य जलकुण्ड निर्माण कार्य)					25	44500.00	1112500.00	0.00	1112500.00	3.1.6
2	सहचरी पौधों का सिंगलिंग कार्य (150 पौध प्रति हे0)	3750	-	-	-	3750	15.80	59250.00	0.00	59250.00	3.1.7
3	क्षेत्र में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की थावलाबंदी तथा मलिन्य कार्य एक बार 200 पौध/हे0	5000 no	-	-	-	5000	4.44	22200.00	0.00	22200.00	3.1.8
4	क्षेत्र में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई प्रथम बार 200 पौध/हे0	5000	-	-	-	5000	1.64	8200.00	0.00	8200.00	3.1.9
5	क्षेत्र में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई द्वितीय बार 200 पौध/हे0	5000	-	-	-	5000	1.64	8200.00	0.00	8200.00	3.1.10
6	गड्डे खुदान कार्य	5000 no	0.30	0.30	0.45	5000	15.80	79000.00	0.00	79000.00	3.1.12
7	निरीक्षण बटिया	25.00	-	-	-	25.00	1046.00	10460.00	0.00	10460.00	3.1.13
8	खाद/रसायन	25.00	-	-	-	5000	0.45	2250.00	0.00	2250.00	3.1.14
9	देख रेख व रखरखाव कार्य रोपण वर्ष में 8 माह (1285 प्रतिमाह दर से 8 माह)10हे0- 10284.00	25.00	-	-	-	25.00	10284.00	257100.00	0.00	257100.00	3.1.15
	योग							1559160.00	0.00	1559160.00	

उप योग								2723712.34	0.00	2723712.34	
10	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 %	25.00	-	-	-	25.00	-	13618.56	0.00	13618.56	
11	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य- 0.50 प्रतिशत	25.00				25.00		13618.56		13618.56	
12	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	25.00				25.00		54474.25		54474.25	
कुल योग प्रथम वर्ष								2805423.71		2805423.71	
या								2805400.00		2805400.00	
5. पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष - पौधरोपण कार्य											
क्र०सं०	कार्य विवरण	संख्या	नपत			मात्रा	दर	प्रथम वर्ष 2025-26	द्वितीय वर्ष 2026-27	योग	एस०ओ० आर०
			ल०	चौ०	उ०						
1	गडडा भरण कार्य	5000	-	-	-	5000	2.48	0.00	12400.00	12400.00	3.2.1
2	कन्दूर फर्में में बीज बुआई कार्य	3375Rm	-	-	-	3375	1.50	0.00	5062.50	5062.50	3.2.2
3	पौधों की कीमत	5000	-	-	-	5000	2.70	0.00	13500.00	13500.00	3.2.3
4	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग अनलोडिंग सहित	5000	टाना/कोसानी पौधालय से मोटर रोड मनान तक			5000	12.17	0.00	60850.00	60850.00	3.2.4.1
5	पौधों का सिरबोझ ढुलान कार्य	5000	मोटर रोड मनान से रोपण स्थल तक 3 किमी०			5000	8.16	0.00	40800.00	40800.00	3.2.4.2
6	पौध रोपण कार्य	5000	-	-	-	5000	4.44	0.00	22200.00	22200.00	3.2.5
7	निराई गुडाई प्रथम बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000	-	-	-	10000	1.64	0.00	16400.00	16400.00	3.2.6
8	निराई गुडाई द्वितीय बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000	-	-	-	10000	1.64	0.00	16400.00	16400.00	3.2.7
9	खाद/रसायन 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000	-	-	-	10000	0.45	0.00	4500.00	4500.00	3.2.8
10	देख रेख व रखरखाव कार्य रोपण वर्ष में 12 माह (अप्रैल 2028 से मार्च 2027 तक)	10000	2000 रोपित पौध तथा 2000 प्राकृतिक रूप से उगे पौधों की देख-रेख			25.00 hec	15426.00	0.00	385650.00	385650.00	3.2.9
11	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ सफाई कार्य	25.00				25.00	318.00	0.00	7950.00	7950.00	3.2.10
उप योग								585712.50		585712.50	
12	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 %	25.00	-	-	-	25.00			2928.56	2928.56	
13	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य- 0.50 प्रतिशत	25.00				25.00			2928.56	2928.56	
14	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	25.00				25.00	-		11714.25	11714.25	3.2.11
कुल योग द्वितीय वर्ष								603283.88		603283.88	
या								603200.00		603200.00	
तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष											
क्र०सं०	कार्य विवरण	सं०/हे०				मात्रा	दर	घनराशि			
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष	25.00				25.00	15426.00			385650.00	3.3.1
2	निराई गुडाई प्रथम बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000				10000	1.64			16400.00	3.3.2
3	निराई गुडाई द्वितीय बार 200 पौध	10000				10000	1.64			16400.00	3.3.3
4	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ सफाई कार्य	25.00				25.00	318.00			7950.00	3.3.4
उपयोग										426400.00	
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 %	25.00	-	-	-	25.00				2132.00	3.3.5
6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य- 0.50 प्रतिशत	25.00				25.00				2132.00	3.3.6
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	25.00				25.00	-			8528.00	3.3.7
तृतीय वर्ष का कुल योग										439192.00	
या										439200.00	
चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष											

क्र०सं०	कार्य विवरण	सं०/हे०	मात्रा	दर	धनराशि		
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10.00हे० पर)	25.00		25.00	15426.00	385650.00	3.4.1
2	निराई गुडाई प्रथम बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000		10000	1.64	16400.00	3.4.2
3	निराई गुडाई द्वितीय बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000		10000	1.64	16400.00	3.4.3
4	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ सफाई कार्य	25.00		25.00	318.00	7950.00	3.4.4
	उपयोग					426400.00	
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 %	25.00	-	25.00		2132.00	3.4.5
6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य- 0.50 प्रतिशत	25.00		25.00		2132.00	3.4.6
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	25.00		25.00	-	8528.00	3.4.7
	तृतीय वर्ष का कुल योग					439192.00	
	या					439200.00	

पंचम वर्ष- अनुसूच्य कार्य तृतीय वर्ष

क्र०सं०	कार्य विवरण	सं०/हे०	मात्रा	दर	धनराशि		
1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10.00हे० पर)	25		25.00	15426.00	385650.00	3.5.1
2	निराई गुडाई प्रथम बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000		10000	1.64	16400.00	3.5.2
3	निराई गुडाई द्वितीय बार 200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित	10000		10000	1.64	16400.00	3.5.3
4	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 4 मी० पट्टी साफ सफाई कार्य	25.00		25.00	318.00	7950.00	3.5.4
	उपयोग					426400.00	
5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण 0.50 %	25.00	-	25.00		2132.00	3.5.5
6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य- 0.50 प्रतिशत	25.00		25.00		2132.00	3.5.6
7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत	25.00		25.00	-	8528.00	3.5.7
	तृतीय वर्ष का कुल योग					439192.00	
	या					439200.00	
	षष्ठम वर्ष से द्वादश वर्ष तक का कुल अनुसूच्य					3074400.00	

व्यय सार

प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	2805400.00
द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	603200.00
तृतीय वर्ष से द्वादश वर्ष तक 10 वर्षीय अनुसूच्य कार्य	10 वर्षीय अनुसूच्य कार्य	4392000.00
	कुल योग	7800600.00

Checked For ₹... 7,80,06,000.00
 Draughtsman
 Almora Forest Division
 ALMORA

प्रभागीय वनाधिकारी
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

2.9	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		4.55	प्रति है०	318.00	1446.90	2.7.A.2.9.3
2.1	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-प्लानिंग व थावलाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)		4.55	प्रति है०	26.67	121.35	2.7.A.2.10.
2.11	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलिवस आदि प्रति है० 450 कटिप का रोपण कार्य		4.55	प्रति है०	1.50	6.83	2.7.A.2.11
	चप-योग					255228.47	
					या	255200.00	
2.12	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत			प्रति है०	-	2552.00	2.7.A.2.12
2.13	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०	-	1276.	2.7.A.2.13.
2.14	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०	-	5104	2.7.A.2.14
2.15	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट) कम्प्लीट कार्य			प्रति है०	1.5	1000	2.7.A.2.15
	द्वितीय वर्ष का योग					265132.00	
					या	265100.00	
3.	तृतीय वर्ष अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)						
3.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852						
	5 है० तक वृक्षारोपण -						
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00		140376.6	2.7.A.3.1
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -						
3.2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व ड्रलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मीके पर कार्य किया जायेगा.	910	प्रति पौध	38.93		35426.3	2.7.A.3.1.3
3.3	निराई-गुड़ाई मलिनंग व थावलाबन्दी प्रथम बार	4550	प्रति पौध	1.64		7462	2.7.A.3.2
3.4	निराई-गुड़ाई मलिनंग व थावलाबन्दी द्वितीय बार	4550	प्रति पौध	1.64		7462	2.7.A.3.3
3.5	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00		1446.9	2.7.A.3.4
	चप-योग					192173.8	
					या	192100.00	
3.6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०	-	1921.00	2.7.A.3.5
3.7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०	-	960.50	2.7.A.3.6
3.8	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०	-	3842.00	2.7.A.3.7
	तृतीय वर्ष का योग					198823.50	
					या	198800.00	
4	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)						
4.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852						
	5 है० तक वृक्षारोपण -						
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00		140376.6	2.7.A.4.1
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -						
4.2	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00		1446.9	2.7.A.4.1.3
	चप-योग					141823.5	
					या	141800	
4.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०		1418.00	2.7.A.4.3
4.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०		709.00	2.7.A.4.4
4.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०		2836.00	2.7.A.4.5
	चतुर्थ वर्ष का योग					146763	
					या	146700.00	
5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)						
5.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852						
	5 है० तक वृक्षारोपण -						
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00		140376.6	2.7.A.4.7
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -						

5.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.4.10
	रुप-योग				141823.5	
			या		141800	
5.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.4.11
5.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.4.12
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.4.13
	षष्ठम वर्ष का योग				146763	
				या	146700.00	
6	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
6.1						
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.5.2
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
6.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.5.5
	रुप-योग				141823.5	
			या		141800	
6.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.5.6
6.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.5.7
6.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.5.8
	षष्ठम वर्ष का योग				146763	
				या	146700.00	
7	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)					
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
7.1						
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.6.2
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
7.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.6.1.5
	रुप-योग				141823.5	
			या		141800	
7.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.6.2
7.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.6.3
7.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.6.4
	सप्तम वर्ष का योग				146763	
				या	146700.00	
8	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)					
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
8.1						
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.6.2
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.6.5
	रुप-योग				141823.5	
			या		141800	
8.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.6.6
8.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.6.7
8.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.6.8
	षष्ठम वर्ष का योग				146763	
				या	146700.00	
9	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)					

9.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.7.2		
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
9.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.7.5		
	उप-योग				141823.5			
			या		141800			
9.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.7.6		
9.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.7.7		
9.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.7.8		
	दशम वर्ष का योग				146763			
				या	146700.00			
10	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)							
10.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.8.1.1		
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
10.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.8.2		
	उप-योग				141823.5			
			या		141800			
10.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.8.3		
10.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.8.4		
10.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.8.5		
	दशम वर्ष का योग				146763			
				या	146700.00			
11	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)							
11.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.9.2		
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
11.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.9.1.1		
	उप-योग				141823.5			
			या		141800			
11.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.9.1.3		
11.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.9.2		
11.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत		प्रति है०		2836.00	2.7.A.9.3		
	एकादश वर्ष का योग				146763			
				या	146700.00			
12	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)							
12.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	4.55	प्रति है०	30852.00	140376.6	2.7.A.9.5		
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
12.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	4.55	प्रति है०	318.00	1446.9	2.7.A.9.7		
	उप-योग				141823.5			
			या		141800			
12.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत		प्रति है०		1418.00	2.7.A.9.8		
12.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत		प्रति है०		709.00	2.7.A.9.9		

12.5	सन्ध आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति हे०		2836.00	2.7.A.9.10
	द्वादश वर्ष का योग							146763	
						रा		146700.00	

व्यय सार		
1	प्रथम वर्ष-अग्रिम मूदा कार्य	909900.00
2	द्वितीय वर्ष-वृक्षारोपण कार्य	265100.00
3	तृतीय वर्ष- अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)	198800.00
4	चतुर्थ वर्ष- अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)	146700.00
5	पंचम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)	146700.00
6	षष्ठम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)	146700.00
7	सप्तम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)	146700.00
8	अष्टम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)	146700.00
9	नवम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)	146700.00
10	दशम वर्ष- अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)	146700.00
11	एकादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)	146700.00
12	द्वादश वर्ष- अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)	146700.00
13	योग प्रथम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश व द्वादश वर्ष	2694100.00

Checked For ₹2694100.00
 Draughtsman
 Almora Forest Division
 ALMORA

प्रभाषीय अधिकारी
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा
 अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक 5752/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, - 18/03/2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं०-151120/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक- 08बी०/यू०सी०पी० /06/80/2022/एफ०सी०/ दि०-09.02.2026 एवं ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 12.03.2026

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5752/12-1(2), दिनांक 17.03.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय

प्रभारी रा.राजमार्ग
आ. का कर,

प. व. सं. नो. 23-3-26

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

उपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पंजी० सं० 3052
पत्रावली 12-1
दिनांक 23-03-26

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05062 230000, फ़ैक्स : 05062 232102 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक - 5752 / 12-1-(2) अल्मोड़ा दिनांक 12/03/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,

✓ उत्तरी कुमाऊ वृत्त,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 09.02.2026 व आनलाईन आपत्ति दिनांक 12.03.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम अवगत कराना है प्रस्ताव के सम्बन्ध में चाही गयी आख्या के बिन्दु सं० 1 के अनुपालन में बाँज, देवदार व बुरांस के पौधों/पेड़ों को प्रत्यारोपण कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र सिराड़ कम्पार्ट 2, 3 व 4 में किया जायेगा एवं बिन्दु सं० 3 के अनुपालन में प्रमावित वृक्षों के 10 गुना पौधों का रोपण कार्य (बाँज, देवदार व बुरांस) को रोपण कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र के कालीमठ कम्पार्ट 04 के 4.55 हे० क्षेत्र में किया जायेगा, जिनकी के०एम०एल० फाईल व गूगल मैप संलग्न कर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 5752 / 12-1-(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

Transplantation Site Almora Range

Write a description for your map.

Legend

- Feature 1



Google Earth

Image © 2025 Airbus

Kuc/Air
N

100 m


अभिलेखित वन प्रान्त क्षेत्र

Plantation Site Almora Range

View a description for your map.

Legend

-  Kailimath compart 4



Google Earth

Map © 2005 Google

सुन्दरबारी
सुन्दरबारी
सुन्दरबारी

